

श्री सिद्धार्थ सौरभ, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन सं०-81/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
पटना जिलान्तर्गत प्रखंड बिहटा, पंचायत बिन्दौल के ग्राम- घोड़ाटाप, रामुबिधा से लेकर केलहनपुर तक सोन कैनाल एवं सोन सुरक्षा बाँध पर मालवाहक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद बालू माफियाओं एवं बंदोबस्तधारियों द्वारा बालू लदे भारी वाहनों का परिचालन निरंतर जारी होने से सोन नदी के सुरक्षा बाँध के ध्वस्त होने का खतरा बना हुआ है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त वर्णित सुरक्षा बाँध पर पूर्णतः बैरिकेटिंग कर भारी वाहनों के परिचालन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाय ।	वस्तुस्थिति यह है कि सोन नदी के दाँये किनारे पर 26.89 कि०मी० की लम्बाई में सैदाबाद मनेर तटबंध निर्मित है, जिसके कि०मी० 0.00 से कि०मी० 15.64 के बीच प्रश्रगत स्थल अवस्थित है। तटबंध के उक्त प्रभाग में भारी वाहनों के परिचालन को रोकने हेतु पूर्व से 05 बिन्दुओं पर बैरियर का अधिष्ठापन किया गया है, जिससे तटबंध के विभिन्न प्रभागों में भारी वाहनों का आवागमन को रोका जा सका है । आवश्यकता अनुसार अन्य बिन्दुओं पर बैरियर के अधिष्ठापन हेतु क्षेत्रीय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-01-37 / 2026

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-431 दिनांक-01.04.2026 के आलोक में निवेदन सं०-81/2026 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-37/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-37/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मो0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि0स0-01-37/2026 - 4674

पटना/दिनांक :.....13/08/2026

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव